37–(08)–116–2013

पटना में दिनांक–02 अप्रील, 2013 मंगलवार को अपराह्न 06:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

<u>निम्नलिखित निर्णय लिये गये:–</u>

	<u>योजना एवं विकास विभाग</u>		
1.	"मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना" की संशोधित मार्गदर्शिका की कंडिका संख्या–6 एवं कंडिका संख्या–7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3 एवं 8.5 में संशोधन की स्वीकृति।	1.	स्वीकृत।
	<u>राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग</u>		
2.	लखीसराय जिलान्तर्गत सूर्यगढ़ा अंचल के मौजा–विशनपुर थाना नं०–86 के विभिन्न खाता, खेसरों का कुल रकबा–5.14 एकड़ गैर मजरूआ मालिक की भूमि विद्युत तापगृह कजरा के निर्माण हेतु कुल 80,46,927/–रू० (अस्सी लाख छियालीस हजार नौ सौ सत्ताईस रूपये) के भुगतान पर ऊर्जा विभाग के संकल्प ज्ञापांक–4852 दिनांक–21.12.2010 के कंडिका–II एवं III में उल्लिखित इस शर्त्त के साथ आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आई०डी०ए०) को स्थायी हस्तांतरण किया जाय कि इन परियोजनाओं के लिए निजी निवेशकर्त्ता के चयन के पश्चात् परियोजना हेतु भू–अर्जन पर होने वाले व्यय की सम्पूर्ण राशि निजी निवेशकर्त्ता से वसूल कर इसे आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आई०डी०ए०) को बिहार राज्य पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा एवं भूमि अर्जन हेतु व्यय की सम्पूर्ण राशि एक मुश्त वसूल की जायेगी। सम्पूर्ण राशि की वसूली के पश्चात् ही आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आई०डी०ए०) द्वारा अर्जित भूमि बिहार राज्य पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने के संबंध में।	2.	स्वीकृत।
	<u>राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग</u>		
3.	नालन्दा जिलान्तर्गत बिन्द अंचल के मौजा–बरहोग, थाना नं०–228, खाता सं०–251, खेसरा सं०–460, रकबा–0.06 एकड़ (छः डी०) गैर मजरूआ आम किस्म खंता भूमि स्वास्थ्य उपकेन्द्र बरहोग के भवन निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार, को निःशुल्क अंतर्विभागीय स्थायी हस्तांतरण के संबंध में।	3.	स्वीकृत।